POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 23.03.2023

1. थाना सेक्टर 63, नोएडा पुलिस द्वारा, 02 गांजा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 35 किलो गांजा बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 23.03.2023 को थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा गांजा तस्कर 02 अभियुक्तों 1. विशाल ठाकुर पुत्र स्व0 मोहन सिंह नि0 गली नं0 01 प्रोफेसर कालोनी थाना कोतवाली जिला बंदायू 2. अकरम पुत्र स्व0 शब्बीर अहमद निवासी 1/278 श्रीराम नगर, थाना मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली को थाना सेक्टर 63 क्षेत्रान्तर्गत बन्द पड़े रिलायन्स पेट्रोल पम्प के पास सर्विस रोड़ से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 35 किलो गांजा बरामद।

अभियुक्तगणों का विवरण--

1. विशाल ठाकुर पुत्र स्व0 मोहन सिंह नि0 गली नं0 01 प्रोफेसर कालोनी थाना कोतवाली जिला बदांयू।
2. अकरम पुत्र स्व0 शब्बीर अहमद नि0 1/278 श्रीराम नगर, थाना मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 130/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर 63 जनपद गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 35 किलो गांजा।

2. थाना सेक्टर 113 नोएडा पुलिस द्वारा, लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 पुरूष व एक महिला अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार होण्डा सिटी, एक अवैध चाकू, लूट की घटना से संबंधित 1500 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 23.03.2023 को थाना सेक्टर 113 पुलिस द्वारा,अरनिया अपार्टमेंट में हुयी लूट का अनावरण करते हुये अभियुक्त अजीत उर्फ राहुल एंव श्रीमती माही पत्नी अजीत उपरोक्त एंव प्रकाश में आये अभियुक्त शुभम उर्फ अंकुर पायल पुत्र अनिल पायल निवासी 725/2 न्यू सैनिक कालोनी थाना कंकरखेडा मेरठ को समय करीब 12.10 बजे एफएनजी रोड के सर्विस मार्ग से घटना में प्रयुक्त होण्डा सिटी कार में योजना बनाते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शुभम उर्फ अंकुर पायल के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू(खुखरी) व लूटे गये रूपयो में से 1500 रूपये नगद बरामद। योजना बनाकर एक राय होकर किये गये अपराध एंव बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 120बी/34/411 भादवि की बढोतरी की गयी। दिनांक 21.03.2023 को अजीत सिंह उर्फ राहुल पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी फ्लैट नं0-701 टावर-01 अरनिया अपार्टमेन्ट सेक्टर-119 नोएडा ने 112 नंबर पर कॉल कर सूचना

दी थी कि दिनांक 20/21.03.2023 की रात्रि में तीन बदमाशों द्वारा समय करीब रात्रि 22.00 बजे उनके घर में घुसकर बंधक बनाकर मारपीट कर नगदी व जेवरात लूट कर ले गये है। थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुँचकर सूचना के संबंध में कॉलर अजीत सिंह उर्फ राहुल उपरोक्त व उनकी पत्नी श्रीमती माही एंव उनके घर पर ठहरे वीरेन्द्र मलिक पुत्र श्री हरिसिंह मलिक निवासी ग्राम पारसोल थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर की चोटो का मैडिकल परीक्षण कराया गया। चूंकि अजीत सिंह उर्फ राहुल उपरोक्त द्वारा अपने घर पर लूट की घटना का होना बताया गया । अतः उन्हे अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु तहरीर देने के लिए कहा गया जिस पर अजीत उर्फ राहुल उपरोक्त द्वारा अन्य किसी से वार्ता कर तहरीर देने को कहा गया। दिनांक 22/23.03.2023 को वादी मुकदमा श्री वीरेन्द्र मलिक उपरोक्त द्वारा थाना हाजा पर अजीत उर्फ राहुल व इसकी पतनी श्रीमती माही के विरूद्ध थाना हाजा पर तहरीर दी गयी जिस पर थाना हाजा पर मु0अ0स0-103/23 धारा 328/382/394/506 भादवि बनाम अजीत उर्फ राहुल आदि पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगणों का विवरण--

1. अजीत उर्फ राहुल पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी शिकारपुर पहासू रोड खुर्जा बुलंदशहर हाल निवासी फ्लैट नं0-701 टावर -01 अरनिया अपार्टमेन्ट सेक्टर-119 नोएडा ।
2. श्रीमती माही पत्नी अजीत उर्फ राहुल निवासी शिकारपुर पहासू रोड खुर्जा बुलंदशहर हाल निवासी फ्लैट नं0-701 टावर -01 अरनिया अपार्टमेन्ट सेक्टर-119 नोएडा ।
3. शुभम उर्फ अंकुर पायल पुत्र अनिल पायल निवासी 725/2 न्यू सैनिक कालोनी थाना कंकरखेडा मेरठ।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त कार होण्डा सिटी नं0-UP16CD4446
2. लूटी गयी नकदी में से नकद 1500 रूपये
3. 01 चाकू
4. 03 अदद मोबाइल फोन

3. थाना फेस 3 पुलिस द्वारा, अपने साथी पर एसिड डालकर घायल करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 23.03.2023 को थाना फेस 3 पुलिस द्वारा अपने साथी पर एसिड डालकर घायल करने वाला एक वांछित अभियुक्त ललित पुत्र होतीलाल निवासी ग्राम बरोली थाना छर्रा जिला अलीगढ़ सम्बन्धित मु0अ0सं0 117/23 धारा 326 (ख) भादवि को टीपीनगर चौराहे से गिरफ्तार किया गया। दिनांक 21.03.2023 को थाना फेस-3 क्षेत्र के अंतर्गत एक ही कम्पनी में काम करने वाले अभियुक्त ललित का साथी करण मोर्या के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था जिसमें अभियुक्त ललित ने गुस्से में आकर पीडित करण के उपर एसिड डाल दिया, जिससे पीडित मामूली रूप से जल गया था। जिसमें पीडित द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण--

ललित पुत्र होतीलाल निवासी ग्राम बरोली थाना छर्रा जिला अलीगढ़

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 117/2023 धारा 326 बी भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

4.थाना कासना पुलिस द्वारा, लावारिस अवस्था में घूम रही बच्ची के परिजनों को तलाश कर किया परिजनों के सुपुर्द।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 23.03.23 को थाना कासना पुलिस को बस स्टैंड कासना के पास 6-7 वर्ष की एक बच्ची लावारिस अवस्था में मिली जो कि अपने घर का पता नही बता पा रही थी। पुलिस द्वारा बच्ची के परिजनों की आसपास के क्षेत्र में तलाश की जाने लगी। अथक प्रयास करते हुये बच्ची के परिजनों को तलाश कर बच्ची को परिजनों के सुपुर्द किया गया।

5. थाना बिसरख पुलिस द्वारा, दुपहिया वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मो0सा0 बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 23.03.2023 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा, दुपहिया वाहन चोरी करने वाले अभियुक्त सौरव पुत्र जोगेन्द्र निवासी ग्राम झिझोकर थाना कंकरखेड़ा मेरठ हाल निवासी बिहारीपुरा थाना विजयनगर गाजियाबाद को तिगरी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक मो0सा0 अपाची बरामद।

अभियुक्त का विवरण--
सौरव पुत्र जोगेन्द्र निवासी ग्राम झिझोकर थाना कंकरखेड़ा मेरठ हाल निवासी बिहारीपुरा थाना विजयनकर गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--
मु0अ0सं0 75/2023 धारा 379 भादवि व वृद्धि धारा 411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--
मो0सा0 अपाची रजि0 नम्बर AP29AY0977।

6. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा अवैध गांजा के साथ विदेशी मूल का 01 नागरिक गिरफ्तार, कब्जे से 1.5 किलोग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, 01 पासपोर्ट एवं 620 रूपये नकद बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 23.03.2023 की रात्रि में थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध गांजा के साथ विदेशी मूल का 01 नागरिक जीन पुत्र डिगब्यू निवासी रिपब्लिक कोटे डे डल्वॉयर, नाइजीरिया वर्तमान निवासी मेट्रो पिलर नंबर के पास 706, पापा जी हाउस फेस, नई दिल्ली को थाना क्षेत्र के चारों सिग्मा का गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 1.5 किलोग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, 01 पासपोर्ट एवं 620 रूपये नकद बरामद हुए है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो दिल्ली से कम दामों में अवैध गांजा खरीदकर ग्रेटर नोएडा में रहने वाले अफ्रीकी नागरिकों को ऊँचे दामों में गांजा बेचकर अवैध धन अर्जित करता है। जांच के दौरान अभियुक्त के वीजा की अवधि भी पूर्व में ही समाप्त होना पाया गया है।

अभियुक्त का विवरण--
जीन पुत्र डिगब्यू निवासी रिपब्लिक कोटे डे डल्वॉयर, नाइजीरिया वर्तमान निवासी मेट्रो पिलर नंबर के पास 706, पापा जी हाउस फेस, नई दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 154/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 1.5 किलोग्राम अवैध गांजा
2. 02 मोबाइल फोन
3. 01 पासपोर्ट
4. 620 रूपये नकद